न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 42/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रज्जू : 07.05.2026 निर्णय दिनांक : 25.05.2026

उनवान

1. इन्द्रसिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान।
3. बलबीर पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान।
4. विजेन्द्र सिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान।
5. हरनन्द पुत्र छोटू जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड. राजस्थान ।
6. अनुराधा देवी बेवा कृष्ण सिंह जाति राजपूत निवासी खोहर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. आशीष पुत्र नीरज कुमार जाति अहीर निवासी फौलादपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान हाल आबाद खोहर तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
2. मुकेश कुमार पुत्र भूरसिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
3. राजेश कुमार पुत्र भूरसिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
4. सत्यपाल पुत्र छोटू जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
5. फूलपती पत्नी भूरसिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
6 भागमती पुत्री भूरसिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
7. सुमन पुत्री भूरसिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

–असल अप्रार्थीगण

8. सतवीरा पत्नी कंवल सिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
9. सुनील कुमार दत्तक पुत्र कंवल सिंह जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
10. रामानन्द पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान (मृतक)

10/1. फुला देवी पत्नी स्व. रामानन्द जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान ।

10/2. पवन पुत्र स्व. रामानन्द जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

10/3. मुकेश पुत्री स्व. रामानन्द जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

10/4. सुनीता पुत्री स्व. रामानन्द जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान ।

11. विरेन्द्र पुत्र गणेश जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।

–तसदीकी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रोहिताश्व यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री लालचंद यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 की ओर से।

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 250/2025 बअनुवान आशीष वगैराह बनाम इन्द्रसिंह वगैराह विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर से वकील श्री लालचंद यादव ने वकालतनामा पेश किया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ के समक्ष प्रस्तुत हुआ था जिसे बिना सक्षम आज्ञा के न्यायालय उपजिला कलक्टर बहरोड़ के समक्ष स्थानान्तरित कर दिया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 8 के फौत होने पर उसके वारिसान की इतला में पत्रावली थी जिनकी तामील भी नहीं हुई थी परन्तु बिना तामील के सीधा ही इकबाल जवाब दावा प्राप्त किया है साथ ही इस पत्रावली में अप्रार्थीगण के पीछे से बिना बताये बाला–बाला रूप से अप्रार्थीगण का जवाब बंद कर दिया गया जबकि उस रोज तारीख पेशी ही नियत नहीं थी जिसका पता अप्रार्थीगण को होने पर जवाब खुलवाने की दरख्वास्त के साथ जवाब भी प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को आज तक मौका रिपोर्ट तहसीलदार बहरोड़ अथवा नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा लिये जाने की बावत किसी प्रकार की सूचना नहीं दी, फिर भी पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट नियत की हुई है जिस पत्रावली को देखने से पत्रावली में ही जो जमाबन्दीयात पेश है, में पेन्सिल से लिखा हुआ है कि फला खसरा नम्बर में रास्ता करना है। इससे स्पष्ट है कि हम पक्षकारान को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकाले जाने की पीठासीन अधिकारी कोशिश कर रहे है। जो प्रार्थीगण के सुनवाई के प्राकृतिक अधिकार के विपरीत है। प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण आशीष, मुकेश कुमार, राजेश कुमार व सत्यपाल 2–3 दिन से गांव में कह रहे है कि जल्दी ही हम चाह रहे है, वैसे फैसला हो जायेगा व हमारी हर प्रकार से पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ. बहरोड़ से बात हो गई है। इस प्रकार से प्रार्थीगण को उप जिलाधीश बहरोड़ से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में न्याय हित में प्रार्थीगण की पत्रावली उपजिला कलक्टर बहरोड़ के न्यायालय से दीगर सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाकर तहकीकात किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण जानबूझकर देरी करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर रहे बल्कि हमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से अर्थात प्रोपर सुनवाई करने से वंचित किया जा रहा है व धारा 251क के प्रावधानो के अन्तर्गत जो आम रास्ता से सबसे छोटा रास्ता जो इस प्रार्थना पत्र मूल के प्रार्थीगण आशीष वगैराह के खेतो में बनाये हुये रिहायशी मकान पर जाने का है, से हटकर उनकी सुविधा के मुताबिक सुगम लेकिन लम्बे रास्ते में से रास्ता घोषित करने की जूस्तजू में है। जो धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की मूल भावना के विपरीत है। प्रकरण साक्ष्य में भी नियत नहीं किया गया। प्रार्थी आशीष को एस.डी.ओ. के चैम्बर से अकेले को भी निकलते हुये

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

देखा है। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिले हुये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुकदमा नम्बर 250 दिनांक 07.11.2025 बअनुवान आशीष वगैराह बनाम इन्द्रसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बहरोड़ के न्यायालय से दीगर सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने की कृपा करें।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा 06 माह से अधिक समय होने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया है। जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क का निस्तारण 90 दिन में हो जाना चाहिए। प्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय के पीठासीन अधीकारी पर लगाये गये सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी ने केवल अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने पत्रांक कोर्ट/2026/308 दिनांक 13.05.2026 में निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मनमाने तथ्य अंकित किये है। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नियत समय पर जवाब प्रस्तुत नही करना तथा जवाब बंद होने के पश्चात पुनः जवाब पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र लगाना यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहते है। अतः प्रकरण में विधिक आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

7. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 250/2025 बअनुवान आशीष वगैराह बनाम इन्द्रसिंह वगैराह अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप सामान्य, अनुमान आधारित एवं अप्रमाणित हैं तथा ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है अथवा प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई के अवसर से वंचित किया गया है। मात्र न्यायालयीन कार्यवाही अथवा पारित आदेशों से असंतोष होना स्थानान्तरण का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा जवाब बन्द होने के पश्चात पुनः जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानान्तरण का अधिकार असाधारण प्रकृति का है तथा इसका प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना उचित होता है जब न्याय के निष्पक्ष संचालन पर वास्तविक एवं युक्तिसंगत आशंका स्थापित हो। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति परिलक्षित नहीं होती जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होगा।

अतः प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निराधार एवं गुण–दोष रहित पाये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

8. आज दिनांक 25.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़